

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
2006/7230

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

21/11/24

एकल पीठ

जं. महेन्द्र लोढा, सदस्य

वकील जार्वी श्री वशिष्ठाना पोखी एवं वकील अजयजी  
श्री श्री. एम. लक्ष्मण (उप.) उन्हें का सर्वप्रथम प्रां.पत्र  
022 R 3 व 9 तपस्वित धारा 151 CPC पर सुना गया  
एवं पत्रावली का अनुलोमन किया। मापस्वित के प्रां.पत्र 0  
22 R 3 व 9 स्वीकार किया जाता है। मृतक जार्वी स-1 श्रीवेणु  
सिंह पुत्र श्रीधरशिव सिंह के विधि वारिसों 1। श्रीलूराय  
1।2 महावर्धनसिंह राठोड के रिफर पर लिखा जाता है।

तत्पश्चात् उन्हें प्रां.पत्र आन्तर्गत धारा 151 CPC  
वाले निगरानी विद्युत सिपे भाग पर सुना गया। वकील  
जार्वी का कथन कि जार्वी स-2 श्रीवेणुसिंह पुत्र  
श्रीधरशिव सिंह का देहांत दिनांक 18/9/24 का अतिवर्तित दिनांक  
में जारी सिपे उक्त जेजी के वारिसों के पुत्र हैं तथा  
उसके हितों जेजी के वारिसों के वारिसों की है मरिचि  
निगरानी सख 2 का नाम लगे कि जार्वी स-1 का सिपे है।  
तथा जार्वी स-2 का नाम निगरानी के अतिरिक्त कोई अन्य वकील  
सम्पादित नहीं करना चाहती है। तथा इन काय की सभी  
कार पर सिपे करना चाहती है।

ज्या. निवेदन है कि जार्वी स-2 श्रीवेणुसिंह का नाम लगे  
जकार अतः निगरानी स-2 श्रीवेणुसिंह का नाम लगे  
जकार दुर प्रस्तुत निगरानी की सभी कार पर सिपे  
सिपे भाग के आदेश जारी करें।

वकील अजयजी का आपत्ति नहीं है।

इसने वकील जार्वी श्री वेणु पर मनन किया एवं पत्रावली  
का अनुलोमन किया। मापस्वित के प्रां.पत्र धारा 151 CPC  
स्वीकार किया जाता है। मृतक जार्वी स-2 श्रीवेणुसिंह का  
नाम लगे किया जाता है एवं वकील जार्वी एवं वकील अजयजी  
का निगरानी विद्युत सिपे भाग के अथवा रखाविक की  
जाती है पत्रावली का अनुलोमन एवं लक्ष्मील जाता  
दाखिल (पत्रावली)

(आदेश सुनाया गया)

सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान  
राजमेर

निर्णयार्थ

21-11-2024

Indrani Singh

राजस्थान

(Shashi Kumar J.S.P.)

21/11/2024

सदस्य  
21/11/2024